राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

Email id: haldharkisankgn@gmail.com

डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24

RNI NO. MPHIN/2022/85285

वर्ष 03 अंक 11 | जनवरी 2025 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

पीथमपुर में जलाया जाएगा यूनियन कार्बाइड का कचरा, विरोध में सड़क पर उतरे लोग

सीएम ने विरोध के बीच कहा मामले में न हो राजनीति

हलधर किसान

इंदौर। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक बार फिर यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की तैयारी की जा रही है। 337 मीट्रिक टन कचरा भोपाल से कंटेनरों के जरिये पीथमपुर पहुंचा है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किए जाने की प्रक्रिया होगी। कचरा जलाए जाने से पहले ही पीथमपुर में विरोध के साथ ही अलग- अलग राय सामने आ रही है। इस पर राजनीति भी गर्माने लगी है। भाजपा के स्थानीय नेता भी सरकार को पुनर्विचार करने के लिए कह रहे है। इस बीच सीएम डॉ. मोहन यादव ने 2जनवरी को प्रेसवार्ता कर साफ कहा कि इस मामले में राजनीति न हो। कचरे का निपटारा वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है और इससे लोगों को कोई नुकसान नही होगा।

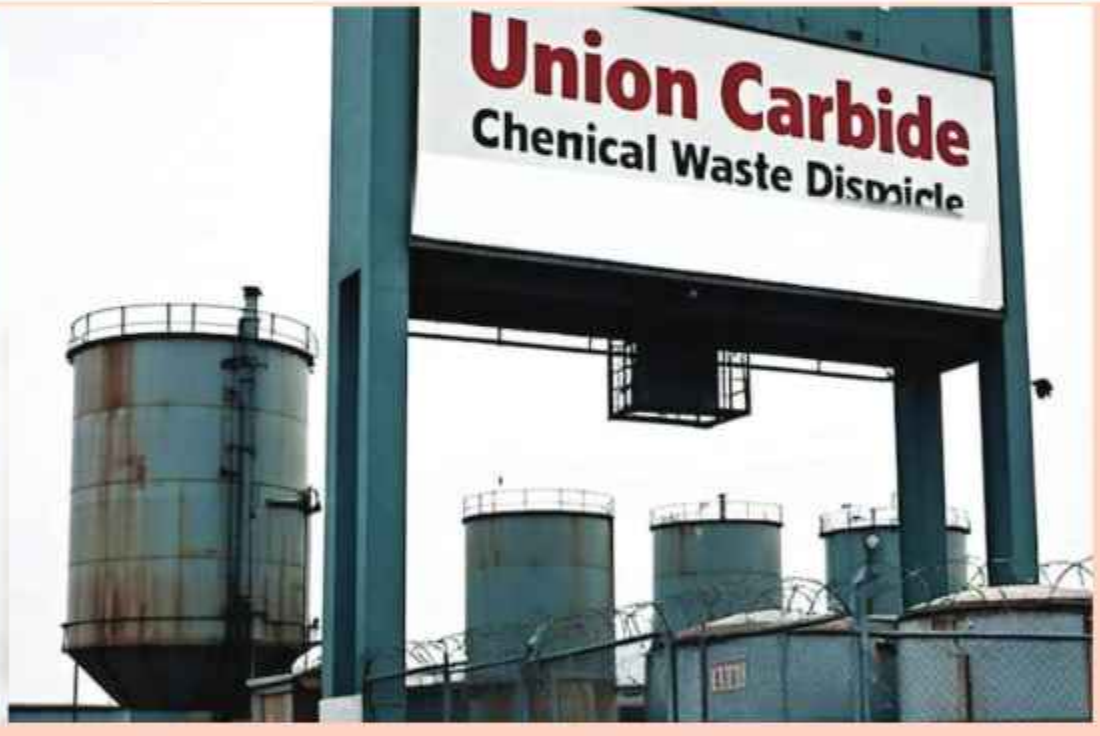

सीएम यादव ने कहा कि कचरे में 60 फीसदी मिट्टी और 40 फीसदी नेफ्थॉल है, जिसका इस्तेमाल कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनेट बनाने में किया जाता है और यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जहर करीब 25 साल तक रहता है और यह त्रासदी 40 साल पहले हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाकर रात को जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की वेस्ट डिपोजिट यूनिट में भेजा गया। एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाई जा रही इस यूनिट के आस.पास बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

40 साल पहले हुआ था हादसा

उल्लेखनीय है कि भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ थाण् गैस के रिसाव की वजह से कम से कम 5479 लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे। भोपाल गैस कांड को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। एमपी हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को इस कारखाने के जहरीले कचरे को हटाने के लिए चार हफ्ते की समय.सीमा तय की थी और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है निपटान

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीथमपुर में वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार कचरे का निपटान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई विभागों के सुझाव और परीक्षण, व्यापक अध्ययन जो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं किए गए, साथ ही अदालत के निर्देशों के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय भूभौतिकीय संस्थान हैदराबाद, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभिन्न केंद्रीय संस्थानों ने ये अध्ययन किए।

सीएम मोहन यादव ने बताया कि 2013 में 10 टन कचरा केरल के कोच्चि स्थित संस्थान में ले जाया गया और बाद में पीथमपुर में इसका परीक्षण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिपोर्टों की गहन जांच के बाद ही इस (निपटान) प्रक्रिया को अनुमति दी। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इस कचरे के निपटान से पीथमपुर और इंदौर के लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक विशेषज्ञ पीथमपुर में कचरा निपटान पर स्पष्ट राय पर नहीं पहुंच जाते, तब तक प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने कचरे के निपटान के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि यह धार जिले के पीथमपुर में ही किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटारा होना चाहिए। हालांकि, यह वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद किया जाना चाहिए।एमपी सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट ने शहर के प्रबुद्धजनों और डॉक्टरों के साथ चर्चा की। डॉक्टर एसएस नैयर ने कहा कि इस कचरे को न जलाने में ही भलाई है। दरअसल, यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने को लेकर इंदौर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट ने एआईसीटीएसएल के कार्यालय में शहर के प्रबुद्धजनों की इस विषय पर चर्चा की।

2 हाईकोर्ट में पड़ी है याचिका

मंत्री विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि पीथमपुर और इंदौर को बचाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वह उठाए जाएंगे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले से तय की गई है। इस मामले में दो याचिका जबलपुर और इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है, लेकिन इस बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उम्मीद है कि यह कचरा पीथमपुर में नहीं जलेगा।

बैठको में अलग- अलग राय

कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में पीथमपुर बचाओ समिति से जुड़े नागरिकों और वहां के नेताओं से एक.एक कर सवाल पूछे। इस चर्चा में पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव विवेक पोरवाल भी शामिल हुए। जिनका जवाब मुख्य सचिव विवेक पोरवाल ने दिया। इस दौरान इंदौर शहर के एक डॉक्टर ने यूनियन कार्बाइड में बचे हुए घातक रसायनों की जानकारी दी। डॉक्टर ने बताया कि इनका असर ताउम्र बना रहेगा। कचरे का निष्पादन पीथमपुर में किए जाने से पीथमपुर के अलावा इंदौर, धार, देपालपुर और आसपास के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। बैठक में डॉक्टर एसएस नैयर ने कहा कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, लेकिन उसे फिर से जलाया जाएगा तो उसमें कई चीजें मिलाई जाएगी, जिससे नया कैमिकल बनेगा, उससे और भी समस्या होगी, जो आने वाली जनरेशन को भी नुकसान पहुंचाएगी। इस कचरे को न जलाने में ही सबकी भलाई है।

राज्य के गैस राहत और पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पीथमपुर भेजे गए इस कचरे में मिट्टी और कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के अवशेष शामिल हैं। सिंह ने कहा भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल बीत चुके हैं। अब इस कचरे में उतना ज्यादा जहरीलापन नहीं रह गया है जितनी आम लोगों में इसके बारे में धारणा है। पीथमपुर पहुंचे कचरे के 10 टन के नमूने को शुरुआत में परीक्षण के तौर पर नष्ट किया जाएगा और इसके परिणामों की वैज्ञानिक जांच के आधार पर बचे कचरे को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा।

विधायक वर्मा भी कर रही हैं विरोध

धार विधायक नीना वर्मा भी बैठक में मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि सन 1984 में हुए हादसे की वह खुद गवाह है। कचरे का निष्पादन करने वाली रामकी इंडस्ट्रीज में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कचरा जलाए जाने की अनुमति दी है। आखिर इसका क्या कारण है। वर्मा ने कचरा निष्पादन करने वाली कंपनी रामकी पर बैन लगाने की मांग की है।

राजस्थान सूखा प्रदेश नही 25 जिलों में बढ़ा भूजल स्तर

चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 14 मीटर बढ़ा जलस्तर

हलधर किसान

जयपुर। अब तक सूखे प्रदेशों के नाम से जाने पहचाने जाने वाला राजस्थान में इस साल मॉनसून सीजन में असामान्य बारिश के चलते भू-जल स्तर बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। प्रदेश में इस बार ढाई महीने झमाझम मानसून का दौर रहा और औसत से कई गुना तक बारिश हुई, जिसका असर अब प्रदेश के भूजल स्तर में हुए इजाफे में दिख रहा है। भूजल विभाग के पोस्ट मानसून ग्राउंड वाटर एसेसमेंट रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भूजल स्तर में 14 मीटर तक सुधार हुआ। आखिर कौन.कौन से जिले में ग्राउंड वाटर बढाए देखे इस खास रिपोर्ट में!

राजस्थान के 50 में से 27 जिलों में असामान्य बारिश दर्ज की गई थी। 15 जिलों में अधिक और 8 जिलों में सामान्य बारिश हुई थी। किसी भी जिले में सामान्य से कम या सूखा दर्ज नहीं किया गया।

राजस्थान में असामान्य बारिश का मतलब सामान्य (417.46 एमएम) से 60 प्रतिशत या इससे अधिक बारिश होने से है। रिपोर्ट के मुताबिक चूरू को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भू.जल स्तर बढ़ा है। चूरू जिले में सामान्य से अधिक बारिश होने के बावजूद .0.19 मीटर भू.जल स्तर कम हुआ है।

वहीं, सबसे ज्यादा भूजल स्तर में बढ़ोतरी चित्तौड़गढ़ जिले में 14 मीटर दर्ज हुई है। इसके बाद सवाईमाधोपुर में 13.32 मीटर, बूंदी 11.50 मीटर, भीलवाड़ा 10.89 मीटर, डूंगरपुर 9.96, प्रतापगढ़ 9.96, अलवर 9.87, बारां 9, कोटा 8.23 और बांसवाड़ा में 6.68 मीटर वृद्धि हुई है। राजधानी जयपुर में भी भूजल स्तर में 4.70 मीटर का सुधार हुआ है।

राजस्थान भूजल विभाग के चीफइंजीनियर सूरजभान सिंह ने बताया कि मॉनसून की बारिश के बाद भू.जल के आंकड़े विभाग ने इकट्ठा किए है। यह प्रारंभिक आंकड़े हैंए जिनका विश्लेषण होना अभी बाकी है। इन्हीं आंकड़ों से जोनवार डेटा भी निकाला जाएगा। साथ ही प्रदेश के डार्कजोन में भू.जल स्तर के डेटा भी इन्हीं आंकड़ों के विश्लेषण से निकलेगाए लेकिन अभी इसे पूरा होने में कुछ महीनों का वक्त लगेगा।

कहां हुई अतिवृष्टि

इस साल पश्चिमी राजस्थान यानी रेगिस्तानी जिलों में भी असामान्य यानी सामान्य से 60 प्रतिशत या अधिक बारिश हुई थी। इनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल है। जालोर में इस साल सामान्य यानी औसत बारिश से 20.59 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई थी। ज्यादा बारिश की वजह से जैसलमेर में मॉनसून से पहले जहां ग्राउंड वाटर की उपलब्धता 49.79 मीटर पर थी। अब यह 2.50 मीटर कम होकर 47.29 मीटर पर है। वहीं, बाड़मेर में भू.जल स्तर 1.73 मीटर, बीकानेर में 0.81 मीटर, जोधपुर में 1.51 मीटर बढ़ा है। साथ ही सामान्य बारिश वाले जालोर जिले में ग्राउंड वाटर लेवल 2.31 मीटर बढ़ा है।

63 फीसदी ज्यादा हुई थी बारिश

राजस्थान के जल संसाधन विभाग की ओर से जारी किए मॉनसून के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक इस साल एक जून से एक अक्टूबर तक प्रदेश में औसत से 63 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सीजन में सबसे ज्यादा बारिश करौली जिले में 1931 एमएम दर्ज हुई। वहीं, मानसून सीजन में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश भी 11 अगस्त 2024 को करौली में ही हुई। जिले में जहां मॉनसून से पहले ग्राउंड वाटर लेवल 32.69 मीटर पर था, सीजन के बाद यह 6ण्20 मीटर बढ़कर 26.49 मीटर हो गया।

उम्मीद है डार्कजोन के भी सुधरेंगे हालात !

राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति काफी चिंताजनक हालात में है। प्रदेश में भू.जल के 299 ब्लॉक हैं। अत्यधिक दोहन और रिचार्ज की सही व्यवस्था ना होने के कारण मॉनसून से पहले इनमें से सिर्फ 38 यानी सिर्फ 12प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित बचे थे। इनमें से 88 प्रतिशत ब्लॉक क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और अत्यधिक दोहित हैं। पिछले तीन दशक में भू.जल का दोहन 114 प्रतिशत तक बढ़ा है। साल 2023 में राजस्थान में भू.जल का 149 फीसदी दोहन किया गया है। यह आंकड़ा 1984 में 35 प्रतिशत था। साल 1995 में 58प्रतिशत, 2004 में 125 प्रतिशत, 2013 में 139 प्रतिशत, 2020 में 150 प्रतिशत और 2023 में 149 प्रतिशत पानी का दोहन राजस्थान में किया गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि प्रदेश में भू.जल का दोहन किस हद तक किया गया है। हालांकि विभाग के अधिकारियों को इस साल की अधिक बारिश से थोड़ी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह जिलों के भू.जल स्तर में सुधार हुआ है, इससे तय है कि कुछ डार्कजोन में भू.जल का स्तर सुधरेगा।

जल्द आएगी 6 जिलों की रिपोर्ट

भूजल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी 33 में से 27 जिलों की पोस्ट मानसून एसेसमेंट रिपोर्ट के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार पूरे प्रदेश के भूजल में इजाफा हुआ है। बाकी 6 जिलों की रिपोर्ट जल्द तैयार होगी। भूजल स्तर सुधरने पर कितने ब्लॉक डार्क जोन से बाहर आ पाएंगे या नहीं यह स्थिति मई के बाद साफ होगी।

पेयजल का मुख्य स्रोत भूगर्भ जल

भूजल विशेषज्ञ हरेन्द्र शर्मा के मुताबिक भू.जल स्तर को फिर से जीवंत करने में वर्षा जल मदद करता है। पेयजल का मुख्य स्रोत भूगर्भ जल ही है। भू.जल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। जिन चट्टानों में भू.जल जमा होता है, उन्हें जलभृत कहा जाता है। भारी वर्षा से जल स्तर बढ़ सकता है और इसके विपरीतए भू.जल का लगातार दोहन करने से इसका स्तर गिर भी सकता है। इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण ही भूजल में वृद्धि देखने को मिली है।

साल में दो बार मापा जाता है भूजल

भूजल विभाग प्रत्येक साल भूजल स्तर का मापीकरण करता है। यह दो प्रकार से किया जाता है। पहला भूजल मापीकरण मानसून से पहले किया जाता है जिससे यह पता लग सके कि मानसून से पहले कितना जलस्तर है। इस प्री मापीकरण कहा जाता है। तो दूसरा मानसून समाप्त होने के बाद भूजल का स्तर मापा जाता है। जिसे पोस्ट मापीकरण कहा जाता है। प्रकृति ने बढ़ाया भूजल, अब संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। धीमी और लगातार बारिश ने क्षेत्र के भूजल स्तर को बढ़ाया है। यह सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत है। भूजल स्तर में वृद्धि होने से क्षेत्र के सूखे हुए जल स्रोतों में फिर से पानी आना शुरू हो गया है। बस जरूरी यह है कि भूजल स्तर बढ़ने के लिए भी प्रयास निरंतर हो।

अब तक खरीदी गई 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 20 जनवरी तक

हलधर किसान. भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 3 लाख 22 हजार 89 किसानों से 21 लाख 22 हजार 901 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिये 1393 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये और धान ग्रेड.ए का 2320 रूपये है।

धान की खरीदी जिला पन्ना में 58,454, दमोह 39,670, सागर 7459, शहडोल 1 लाख 1 हजार 43, अनूपपुर 46,208, उमरिया 62,732, रीवा 2 लाख 17 हजार 77, सतना 2 लाख 35 हजार 687, सिंगरौली 80,259, सीधी 60,754, मऊगंज 54,919, मैहर 79,120, सीहोर 13,100, रायसेन 17,536, विदिशा 676, नर्मदापुरम 78,046, बैतूल 20,725, हरदा 349, कटनी 2 लाख 21 हजार 154, बालाघाट 2 लाख 75 हजार 776, मंडला 1 लाख, 9 हजार 759, नरसिंहपुर 45,363, सिवनी 1 लाख 13 हजार 95, जबलपुर एक लाख 60 हजार 922, डिंडोरी 17,699, छिंदवाड़ा 4719, भिण्ड 398, शिवपुरी 138, अलीराजपुर 47 और झाबुआ जिले में 17 मीट्रिक टन की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश को प्रकृति से मिला है सभी राज्यों से अधिक वन सम्पदा का वरदान

मध्यप्रदेश का वन क्षेत्र देश में सबसे अधिक विस्तृत है। यहां वनों को प्रकृति ने अकूत सम्पदा का वरदान से समृद्ध किया है। प्रदेश में 30.72 प्रतिशत वन क्षेत्र है जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है। यहां कुल वन क्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर (94 लाख 68 हजार 900 हेक्टेयर) है। वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन क्षेत्रीय स्तर पर 16 वृत्त, 64 वन मण्डल, 135 उप वन मण्डल, 473 परिक्षेत्र, 871 उप वन परिक्षेत्र और 8 हजार 286 परिसर कार्यरत हैं। प्रदेश में 24 अभयारण्य, 11 नेशनल पार्क और 8 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित हुए हैं।मध्यप्रदेश वन्य.जीव संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला सबसे देश का पहला राज्य है। प्रदेश में वर्ष 1973 में वन्य.जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश में सफेद बाघों के संरक्षण के लिये मुकुंदपुर में महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई है, इसे विश्वस्तरीय बनाये जाने के प्रयास जारी हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघ सहित कई वन्य.जीवों की आदर्श आश्रय स्थली और प्रजनन के सर्वाधिक अनुकूल स्थान है। पेंच टाइगर रिजर्व की 'कॉलर वाली बाघिन' के नाम से प्रसिद्ध बाघिन को सर्वाधिक 8 प्रसवों में 29 शावकों को जन्म देने के अनूठे विश्व.कीर्तिमान के कारण 'सुपर मॉम' के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले हार्ड ग्राउण्ड बारहसिंगा को मध्यप्रदेश के राजकीय पशु का दर्जा मिला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पुनर्स्थापना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य को गौरवान्वित किया है। देश में 13 हजार से भी अधिक तेंदुए हैं, जिसमें से 25 प्रतिशत तेंदुए मध्यप्रदेश में हैं। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3300 से अधिक है। देश में तेंदुओं की आबादी में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मध्यप्रदेश में यह वृद्धि 80 प्रतिशत है। घड़ियाल, गिद्धों, भेड़ियों, तेंदुओं और भालुओं की संख्या में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मध्यप्रदेश बाघों का घर होने के साथ ही तेंदुओंए चीतों, गिद्धों और घड़ियालों का भी आँगन है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसी) ने मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में कुछ बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। इस तरह मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की जैव.विविधता को सम्पन्न बनाने में भी अपना योगदान दे रहा है। मध्यप्रदेश में बाघों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के रातापानी अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनाय है रातापानी हमेशा से बाघों का घर रहा है। रायसेन एवं सीहोर जिले में रातापानी अभयारण्य का कुल 1272 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अधिसूचित है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद कुल क्षेत्रफल में से 763 वर्ग किलोमीटर को कोर क्षेत्र घोषित किया गया है। यह वह क्षेत्र है, जहां बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेंगे। शेष 507 वर्ग किलोमीटर को बफर क्षेत्र घोषित किया गया है। यह क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित है। इसका उपयोग कुछ प्रतिबंधों के साथ स्थानीय समुदाय कर सकेंगे। आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भोपाल के अर्बन फॉरेस्ट की रातापानी से समीपता होने के कारण भोपाल को अब टाइगर राजधानी के रूप में पहचान मिलेगी। रातापानी के टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। मानव.वन्य.जीव संघर्ष को कम करने के लिये शासन के प्रयास मध्यप्रदेश बाघ एवं तेंदुआ स्टेट है। यहां 30 प्रतिशत से अधिक बाघ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर विचरण कर रहे हैं। इससे मानव.वन्यजीव संघर्ष की संभावना अधिक हो गयी है। मानव.वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये वन्यजीव कॉरिडोर एवं अन्य वन क्षेत्रों में रेस्क्यू के लिये 14 रीजनल रेस्क्यू स्क्वॉड और एक राज्यस्तरीय रेस्क्यू स्क्वॉड का गठन किया गया है। वन्यजीवों को मानव.वन्यजीव संघर्ष के लिए संवेदनशील क्षेत्रों से रेस्क्यू कर संरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जायेगा, जिससे वन्यजीवों का प्रबंधन एवं संरक्षण अधिक प्रभावी रूप से हो सकेगा। इन संघर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 80 प्रतिशत जनहानि, 15 हजार पशु हानि होती है और 1300 नागरिक घायल होते हैं। मानव.वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये शासन ने जनहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इन प्रकरणों में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिवस के अंदर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

संपादकीय

प्रदेश में बढ़ते हुए हाथियों की संख्या को देखते हुए एक एलीफेंट.टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। हाथी प्रबंधन के लिये योजना तैयार की जा रही है। इसमें एआई तकनीक के उपयोग से स्थानीय समुदायों की सहभागिता को भी प्रबंधन में सम्मिलत किया जा रहा है। हाथी विचरण क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में मनुष्य के साथ ही सम्पूर्ण जीव.जगत को अपना कुटुम्ब माना जाता है। हम वनों, पहाड़ों और नदियों को पूजा जाता रहा है। पूर्वजों की इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए जैव.विविधता संरक्षण के प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिये वन जीवन को सहेजकर रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। - **के. के जोशी**

जाने साल 2025 में कब.कब लगेगा सूर्य, चंद्र ग्रहण

भारत में सूर्य, चंद्र ग्रहण का क्या रहेगा असर, कब रहेगा सूतक

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी)

इस साल 2024 में मकर संक्रांति के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा हैण् मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान दान के बाद सूर्य देव की पूजा करते है और रवि योग भी सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना जाता हैण् सूर्य देव जिस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैए उस समय ही मकर संक्रांति होती हैण् मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिएण् उसके बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य देना चाहिएण् उसके बाद काला तिलए गुड़ए चावलए गेंहूए गरम कपड़े आदि का दान करना चाहिएण् वैसे भी रवि योग में यह दान उत्तम फल प्रदान करता हैण् तिरूपति के ज्योतिषाचार्य डॉण् कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि मकर संक्रांति कब हैघ् मकर संक्रांति के दिन रवि योग कब बन रहा हैघ् मकर संक्रांति पर स्नान और दान का मुहूर्त क्या हैघ

मकर संक्रांति 2024 तारीख

वैदिक पंचांग के अनुसारए ग्रहों के राजा सूर्य देव शनि की राशि मकर में 15 जनवरी 2024 को 02रू54 एएम पर प्रवेश करेंगेण् उस समय सूर्य की मकर संक्रांति होगीण् इस आधार पर मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगीण् उस दिन पौष मा?ह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हैण

ये भी पढ़ेंरू नए साल की पहली एकादशी कब हैघ् यहां देखें सफला से लेकर मोक्षदा तक एकादशी व्रत लिस्ट

मकर संक्रांति 2024 स्नान.दान मुहूर्त

15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महा पुण्यकाल 07रू15 एएम से 09रू00 एएम तक हैण् उस दिन महा पुण्यकाल पौने दो घंटे हैण् महा पुण्यकाल में मकर संक्रांति का स्नान और दान करना श्रेष्ठ हैण् हालांकि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मकर संक्रांति का स्नान.दान प्रारंभ हो जाता है और पूरे दिन तक चलता हैण् उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 05रू27 एएम से 06रू21 एएम तक हैण् मकर संक्रांति वाले दिन वरीयान योग सुबह से रात 11रू11 पीएम तक हैण

रवि योग में मकर संक्रांति 2024

इस साल मकर संक्रांति के अवसर पर रवि योग बन रहा हैण् रवि योग सुबह 07 बजकर 15 मिनट से सुबह 08 बजकर 07 मिनट तक हैण् उसके बाद अगले दिन सुबह 06 बजकर 10 मिनट से सुबह 07 बजकर 15 मिनट तक हैण् इस योग में स्नानए दान और सूर्य की पूजा करना बहुत ही कल्याणकारी होता हैण

ये भी पढ़ेंरू 18 जनवरी को बन रहा गजकेसरी योगए इन 5 राशिवालों का चमकेगा भाग्यए बढ़ेगी सुख.समृद्धिए प्रतिष्ठा

कैसे बनता है रवि योगघ

रवि योग का निर्माण तब होता हैए जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथेए छठेए नौवेंए दसवेंए तेरहवें या बीसवें होता हैण् कुंडली में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान.सम्मान और प्रभाव बढ़ता हैण् वह उच्च पद प्राप्त कर सकता हैण् व्यक्ति दान और सहयोग भी करता हैण् रवि योग सभी दोषों को नष्ट करता हैण् इस योग में आप जो भी कार्य करते हैंए उसका शुभ फल प्राप्त होता हैण

वर्ग पहेली-6

बाएं से दाएं

1. बेवक्त (4)
3. हार (4)
5. तेवर (4)
6. चीज (4)
8. तीन क्षार. सज्जी, शोरा, सुहागा (4)
10. माफी मांगने वाला (4)
12. स्तर का (3)
14. पोषण करने वाला (3)
16. नाव खेने का साधन (4)
18. असम्मान (4)
19. शरीर, काया (2)
20. बगुला (2)
22. काँटों वाला एक बड़ै आकार का फल/सब्जी (4)
23. शिल्प, कौशल, दस्तकारी (3)

ऊपर से नीचे

1. निर्धन (5)
2. शहद (5)
3. परीक्षा देने वाला (4)
4. पुत्र (3)
7. कम गति का (2)
9. राँगा (3)
10. नाश, यक्ष्मा (2)
11. नैसर्गिक (3)
13. मुग्ध होना (3)
14. उँगली के आगे का हिस्सा (2)
15. क्लेश करने वाला (5)
16. एक प्रकार की सब्जी (4)
17. भवन निर्माण का भारतीय पारंपरिक विज्ञान (2)
18. ज्यादा (3)
21. पार्वती (2)

१		२		■	३			४
	■		■	५		■	■	
६		■	७	■	८		९	
	■	१०		११		■		■
१२	१३		■		■	१४		१५
■		■	१६		१७		■	
१८				■		■	१९	
	■	■	२०		■	२१	■	
२२				■	२३			

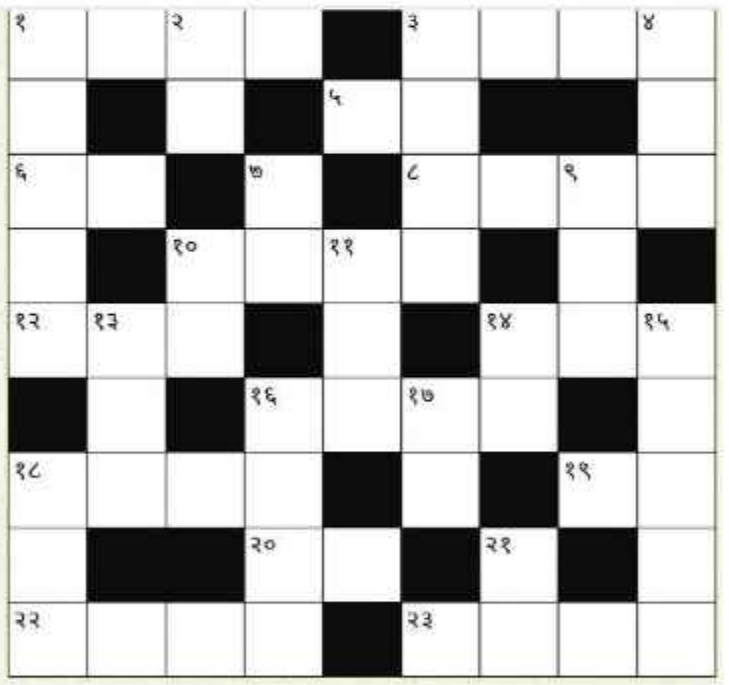

वर्ग पहेली 5 का सही उत्तर

1 भा	ग्य	2 शा	ली	■	■	3 न	■	4 स
ल	■	र	■	5 सु	दू	र	पू	र्व
6 चं	डी	दा	7 स	■	■	पुं	■	हा
द	■	■	8 म	हा	9 भा	ग	■	रा
■	10 ब	11 रा	त	■	12 द्र	व	म	■
13 दे	■	14 ज	ल	कू	प	■	■	15 प्रा
व	■	नी	■	■	16 द	17 य	नी	य
18 रा	ज	ति	ल	क	■	ती	■	श्चि
ज	■	क	■	■	19 स	म	वे	त

रिपोर्ट : हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल की आग में 1,300 प्रतिशत से अधिक और जम्मू.कश्मीर में 2,800 प्रतिशत की वृद्धि हुई

हलधर किसान

शिमला। पहाड़ी इलाकों के जंगलों में लगी आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 1, 339 प्रतिशत और जम्मू और कश्मीर में दर्ज किया गया 2,822 प्रतिशत आगजनी की घटनाओं में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट (एसओएफआर) 2023 नवीनतम वन अग्नि सीजन के दौरान वन अग्नि के आंकड़ों का स्रोत है। हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे पिछले साल के आग के मौसम में 1,339 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले शिमला, कुल्लू और मंडी हैं। लंबे समय तक सूखा, बढ़ता तापमान और कृषि और पर्यटन विस्तार जैसी मानवजनित गतिविधियों में वृद्धि।

जम्मू और कश्मीर में भी आग की घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी गई हैए जंगल की आग की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि 2,822 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। प्रभावित होने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र पीर पंजाल रेंज और कश्मीर घाटी हैं। योगदान देने वाले कारकों में बर्फ की कमी, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और अवैध वन अतिक्रमण शामिल हैं। इन सभी का कारण कृत्रिम जलवायु परिवर्तन आपदाएं और गैर.नवीकरणीय सीमित संसाधनों का दोहन है।अन्य राज्यों का अवलोकन

इसकी तुलना में उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में 293 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। दृश्यमान इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आग की घटनाओं में इस्तेमाल किए गए डेटा से हिमालय में व्यापक प्रवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है।

नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जैसे प्रमुख जिलों में जंगल में आग लगने की घटनाएं बहुत अधिक देखी गई हैं। नवंबर 2023 और जून 2024 के बीच दर्ज की गई जंगल की आग की घटनाओं में पिछले सीज़न की तुलना में थोड़ी कमी आई। इसके विपरीत, प्रभावित क्षेत्र की दृष्टि से आंध्र प्रदेश (5,287 वर्ग किमी. प्रभावित) और महाराष्ट्र (4,095 वर्ग किमी. प्रभावित) जैसे राज्य हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजाब में जंगल की आग की घटनाओं में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और सिक्किम में क्रमशः 128 प्रतिशत, 111प्रतिशत, 102 प्रतिशत और 106 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में 69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश में 36प्रतिशत, गुजरात में 35 प्रतिशत, मिजोरम में 14 प्रतिशत और तेलंगाना में जंगल की आग में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बढ़ती वन आग के कारण

अंतर्निहित कारणों का पता जलवायु परिवर्तन और खराब प्रबंधन दोनों से लगाया जा सकता है, क्योंकि बढ़ते तापमान और जंगल की आग की घटनाओं के बीच संबंध स्पष्ट है। मानव.प्रेरित कारक और पर्याप्त आग प्रबंधन प्रणालियों की कमी के कारण वनों को आग के प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई तथा कटाई.जला कृषि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जैसा कि विशेषज्ञों ने कहा है, एसओएफआर रिपोर्ट में विस्तृत कारण विश्लेषण का अभाव महत्वपूर्ण आवासों को नष्ट करने की दिशा में एक कदम बन गया है। लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे हिम तेंदुआ और हिमालयी मोनाल।इन चिंताओं के लिए लंबे समय से सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। उपग्रह निगरानी ने नवीनतम अग्नि सीज़न के दौरान 229,934 से अधिक हॉटस्पॉट का पता लगाया है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू.कश्मीर में वन अग्नि की पूर्व चेतावनी प्रणालियों को लागू करने से जीवन बच सकता है तथा पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोका जा सकता है।

सदी के अंत तक 50 फीसदी और बढ़ जाएगी आगजनी की घटनाएं

बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के जंगलों में आग लगने की चेतावनी जारी की गई है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के वरिष्ठ रेजिडेंट फेलो और जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र टीम के प्रमुख देबादित्यो सिन्हा का कहना है कि विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आग की घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक है। नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और शिमला जैसे जिले जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं के मामले में 20 प्रमुख जिलों में शामिल हैं। उनके मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं में अचानक भारी वृद्धि इसके पीछे के कारणों को लेकर चिंता पैदा करती है।

गोवा के जंगलों में आग की घटनाओं में आई है 75 फीसदी की कमी

यदि केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो लद्दाख में 60 फीसदी की वृद्धि देखी गई, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन घटनाओं में पांच फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ गोवा और कर्नाटक में जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, इस दौरान जहां गोवा में 75फीसदी की वहीं कर्नाटक में 57 फीसदी की कमी आई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कई प्रकार के जंगलों विशेषकर शुष्क पर्णपाती वनों में भीषण आग की घटनाएं आम हैं, जबकि सदाबहार, अर्ध.सदाबहार और पर्वतीय शीतोष्ण वन इससे कम प्रभावित होते हैं।

एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित हो रहा है। अखबार की प्रतियां नियमित रुप से प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता लेने, एजेंसी/ विज्ञापन प्रकाशन के लिए हमारे वाट्सअप नंबर(88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगाँस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

नोट: कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखे लेख प्रकाशन के लिए भी वाट्सअप नंबर पर भेज सकते है। आपके द्वारा भेजे गए लेख, शोधकार्य या कृषि के क्षेत्र में नई तकनिकी, सफलता हासिल करने संबंधित समाचार को भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे।

भारत का हरित क्षेत्र 25.17 प्रतिशत तक बढ़ा

1445 वर्ग किमी बढ़कर 8.27 लाख वर्ग किमी हो गया ग्रीन कवर

साप्ताहिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। यह जानकारी सरकार नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर दो साल में प्रकाशित होने वाली श्भारत वन स्थिति रिपोर्टश् इस बार साल भर की देरी से जारी हुई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश में वन और वृक्ष आवरण (ग्रीन कवर) 1445 वर्ग किमी बढ़कर 8.27 लाख वर्ग किमी हो गया है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 फीसदी है। देश में ग्रीन कवर बढ़ना अच्छा संकेत है लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा खुले वनों, बांस, एग्रो.फॉरेस्ट्री और जंगलों के बाहर पेड़ों का है। कई संवेदनशील क्षेत्रों में वनों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2021 के बीच 40.709 वर्ग किमी क्षेत्र में घने जंगल बर्बाद होकर खुले वनों में तब्दील हो गये।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में श्भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वन आवरण लगभग 7.15 लाख वर्ग किमी (21.76 प्रतिशत) और वृक्ष आवरण 1.12 लाख वर्ग किमी (3.41 प्रतिशत) है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर प्रसन्नता जताई है कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

एक तिहाई से ज्यादा खुले वन

देश के कुल 8.27 लाख वर्ग किमी ग्रीन कवर में एक तिहाई से अधिक लगभग 3.05 लाख वर्ग क्षेत्र खुले वनों का है जिनका घनत्व 40 फीसदी से कम होता है। साल 2021 से 2023 के बीच भारत के वन आवरण में केवल 156 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, जबकि वृक्ष आवरण 1,289 वर्ग किमी बढ़ा है। इस दौरान करीब 3656 वर्ग किमी क्षेत्र में घने जंगल खत्म हो गये। हालांकि, करीब 895 वर्ग किमी गैर.वन क्षेत्र घने जंगलों में तब्दील हुआ जिसमें अधिकतर वृक्षारोपण और एग्रो.फॉरेस्ट्री शामिल है।

सर्वाधिक वृद्धि व कमी वाले राज्य

वन एवं वृक्ष आवरण में सबसे अधिक बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी) उत्तर प्रदेश (559 वर्ग किमी) ओडिशा (559 वर्ग किमी) तथा राजस्थान (394 वर्ग किमी) में दर्ज की गई है। जबकि वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक कमी मध्य प्रदेश (612 वर्ग किमी), कर्नाटक (459 वर्ग किमी) लद्दाख (159 वर्ग किमी), नागालैंड (125 वर्ग किमी) में आई है। देश में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य . मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग किमी), अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग किमी) और महाराष्ट्र (65,383 वर्ग किमी) हैं।

पश्चिमी घाट व मैंग्रोव को नुकसान

पिछले एक दशक में पश्चिमी घाट के इको.सेंसटिव वन आवरण में 58.22 वर्ग किमी की कमी है। नीलगिरी में 123 वर्ग किमी की गिरावट दर्ज की गई। 2021 से 2023 के बीच देश का मैंग्रोव क्षेत्र 7.43 वर्ग किलोमीटर घटा है, जिसमें गुजरात में सबसे अधिक 36.39 वर्ग किमी की कमी दर्ज की गई है जबकि आंध्र प्रदेश (13 वर्ग किमी) और महाराष्ट्र (12 वर्ग किमी) में मैंग्रोव क्षेत्र बढ़ा है। पूर्वोत्तर भारत के वन आवरण में 327 वर्ग किमी की कमी दर्ज की गई है जबकि देश के पर्वतीय जिलों में वन आवरण 234 वर्ग किमी बढ़ा है।

वन क्षेत्रों के बाहर बढ़ा हरित आवरण

देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण में करीब 37 फीसदी हिस्सा जंगलों के बाहर पेड़ों का है। सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है जो इन राज्यों में बढ़ती एग्रो.फॉरेस्ट्री का प्रमाण है। वन आवरण में अधिकांश वृद्धि (149 वर्ग किमी) वन क्षेत्रों के बाहर हुई है जबकि वन क्षेत्रों के अंदर केवल 7.28 वर्ग किमी वन आवरण बढ़ा है।

भारतीय वन सर्वेक्षण ने वन और वृक्ष आवरण में बांस को भी शामिल किया है। देश में बांस क्षेत्र का विस्तार 5,227 वर्ग किमी की वृद्धि के साथ 1.54 लाख वर्ग किमी क्षेत्र तक हो गया है जो देश के कुल हरित आवरण का 18 फीसदी से अधिक है। एग्रो.फॉरेस्ट्री के अंतर्गत कुल वृक्ष आवरण 2023 में 1.27 लाख वर्ग किमी होने का अनुमान है, जो 2013 की तुलना में 21,286 वर्ग किमी (20.02) अधिक है।

वन आवरण और वृक्ष आवरण

भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, वन आवरण का मतलब एक हेक्टेयर से अधिक ऐसे क्षेत्र से है जहां वृक्ष छत्र घनत्व 10 प्रतिशत से अधिक है, चाहे स्वामित्व, लैंड यूज या कानूनी स्थिति कुछ भी हो। इसमें प्राकृतिक वनों के साथ. साथ बाग. बगीचे, बांस और एग्रो.फॉरेस्ट्री भी शामिल है। वन क्षेत्र के बाहर एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले पेड़ों को वृक्ष आवरण में गिना जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने बांस को भी वन एवं वृक्ष आवरण में शामिल किया है।

वनों में आग

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023.24 में देश में जंगलों की आग के 2.03 लाख हॉटस्पॉट थे, जो 2021.22 में 2.23 लाख थे। नवंबर 23 और जून 24 के बीच, जंगलों में आग की सर्वाधिक घटनाएं उत्तराखंड (21,033), ओडिशा (20,973) और छत्तीसगढ़ (18,950) में हुईं। राष्ट्रीय स्तर पर जंगल में आग की घटनाएं कम होने के बावजूद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वनाग्नि की काफी घटनाएं बढ़ी हैं।

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 राष्ट्रीय स्तर पर वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि को दर्शाती है, लेकिन इको.सिस्टम के लिहाज से संवेदनशील प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचा है। यह वन संरक्षण के मौजूदा प्रयासों और नीतियों के बारे में चिंताएं पैदा करता है।

कार्बन स्टॉक

देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,28.55 करोड़ टन अनुमानित है। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 8.15 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 अरब टन सीओ2 के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में, भारत पहले ही 2.29 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक को प्राप्त कर चुका है जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 अरब टन का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु लक्ष्यों की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रगति है।

पंचगंगा शुगर मिल का संत-महंत ने किया शुभारंभ, क्षेत्र के विकास के लिए उद्योगों की बताई आवश्यकता

हलधर किसान. महाराष्ट्र। प्रदेश के महलगांव में क्षेत्र के किसानों को पंचगंगा कंपनी ने बड़ी सौगात दी है। यहां पंचगंगा शुगर एंड पावर प्राण् लिमिटेड कंपनी का समारोहपूर्वक शुभारंभ हुआ, जिसके बाद गन्ना उत्पादक किसानों को क्षेत्र में ही उचित दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए सुविधा होगी।

पंचगंगा फैक्ट्री उद्घाटन महंत रामगिरिजी महाराज,देवगढ़ संस्थान के भास्करगिरिजी महाराज, संस्थान के उत्तराधिकारी प्रकाशानंदगिरिजी महाराज ने किया। इस अवसर पर महंत रामगिरिजी महाराज ने फैक्ट्री प्रबंधन को आशीर्वचन देते हुए कहा कि पंचगंगा शुगर फैक्ट्री तालुका के गन्ना उत्पादकों के लिए एक सही फैक्ट्री बनेगी, युवाओं के लिए रोजगार, इथेनॉल सहित दस उपण्उत्पादों के उत्पादन से ईंधन की जरूरत पूरी होगी और इस क्षेत्र को फायदा होगा।

यह फैक्ट्री किसानों के लिए फायदेमंद होगी और उन्हें जीवनदान मिलेगा। मठाधीश महंत रामगिरिजी महाराज ने कहा कि वैजापुर और गंगापुर तालुकों का विकास किया जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। पंचगंगा फैक्ट्री चेयरमैन प्रभाकर शिंद ने बताया कि इस मिल से न केवल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने का प्रयास भी किया जाएगा। इस आधुनिक मिल में शुगर हॉउस, रिफाईनरी, कोजेनप्लांट, पारम्परिक भट्ठी, भस्मीकरण यंत्र, डिस्टीलरी, अनाज आधारित डिस्टीलरी आदि संयंत्रों का समावेश है। इस कारखाने से शुद्ध शकर 4 लाख लि. प्रतिदिन शकर का उत्पादन किया जा सकेगा।

शुभारंभ अवसर पर निदेशक बाबा साहब शिंदे, उत्तम शिंदे ने मंच पर उपस्थित संत महंत का पूजन किया। इसके बाद सांसद संदीपन भूमरे, नेवाश विधायक विठ्ठल लंघे, वैजापुर विधायक रमेश बोरनारे, पूर्व विधायक भाऊसाहेब पाटिल चिकटगांवकर, पूर्व विधायक अन्ना साहेब माने, बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय निकम, पूर्व महापौर सबरखान, पूर्व अध्यक्ष बाबासाहेब जगताप, ज्ञानेश्वर जगताप, डॉ. राजीव डोंगरे, विजय पवार, रामहरि जाधव आदि ने स्वागत किया।

स्ट्रॉबेरी की खेती से जनजातीय किसानों के जीवन में आई मिठास

जनजातीय क्षेत्र झाबुआ में किसानों ने खेती में किया नवाचार, मिली सफलता

हलधर किसान

हलधर किसान. भोपाल। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में जनजातीय किसानों ने पारम्परिक खेती से एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नई दिशा में कदम रखा। जिले के प्रगतिशील किसान रमेश परमार और साथी अन्य किसानों ने अपने परिश्रम, लगन खेती में नवाचार कर असंभव को संभव बना दिया है।जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र में पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रयोग शुरू हुआ। परम्परागत रूप से ज्वार, मक्का और अन्य सामान्य फसलों के लिए जाने-जाने वाले इस इलाके में अब किसानों ने उद्यानिकी फसलों की ओर रुख किया है। जिले के रामा ब्लॉक के तीन गांवों मुराडाबरा, पालेड़ी और भंवरपिपलिया में आठ किसानों के खेतों में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए गए।

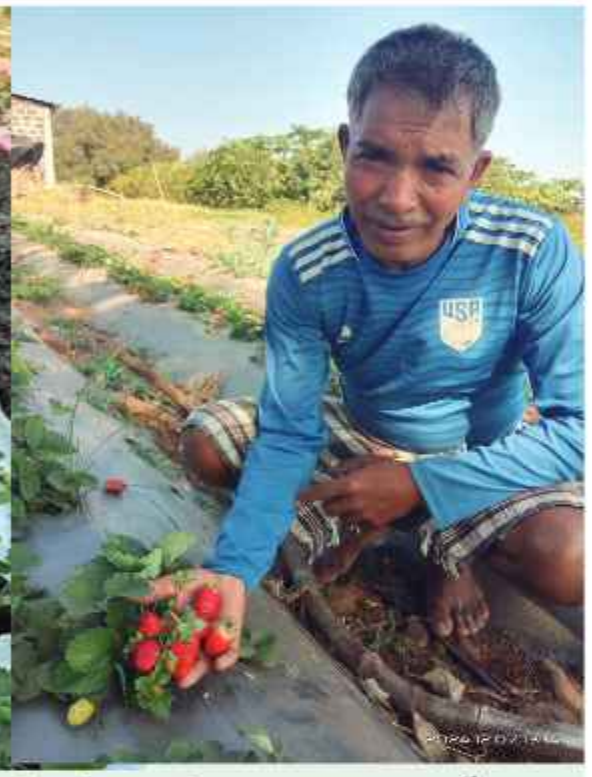

झाबुआ में, स्ट्रॉबेरी सामान्यतः ठंडे इलाकों की फसल है, को यहां अनुकूलित परिस्थितियों में उगाने का प्रयोग किया गया। महाराष्ट्र के सतारा जिले से 5000 पौधे मंगवाकर हर किसान के खेत में 500 से 1000 पौधे लगाए गए। हर पौधे की कीमत मात्र 7 रुपये थीए लेकिन इसे उगाने की प्रक्रिया ने किसानों को बागवानी की ऊन्नत और आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराया।

रोटला गांव के रमेश परमार ने अपने खेत में ड्रिप और मल्चिंग तकनीक का उपयोग कर 1000 स्ट्रॉबेरी पौधे लगाए। वे बताते हैं कि पहले बाजार में इन फलों को देखा था, लेकिन खरीदने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अब जब खुद के खेत में उगाए, तो इसका स्वाद भी चखा और इसकी उच्च कीमत का महत्व भी समझा।

रमेश ने 8 अक्टूबर 24 को पौधों की बुवाई की थी और केवल तीन महीनों में फलों की पैदावार शुरू हो गई। वर्तमान में बाजार में स्ट्रॉबेरी की कीमत 300 रुपये प्रति किलो है।

आर्थिक और सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ रहे जनजातीय किसान

स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल इन किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। यह पहल झाबुआ जिले के लिए उद्यानिकी खेती का एक नया अध्याय खोलेगी। झाबुआ के जनजातीय किसान सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े बदलाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

फिलहाल उन्होंने अपनी पहली फसल घर के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ बांटी है।

समूह की सफलता

रमेश अकेले नहीं हैं। उनके साथ अन्य किसान भंवरपिपलिया के लक्ष्मण, मुराडाबरा के दीवान, और पालेड़ी के हरिराम ने भी अपनी जमीन पर स्ट्रॉबेरी उगाई है। सभी किसानों के पौधों में फल लगने शुरू हो गए हैं। ये किसान अपनी उपज को लोकल हाट-बाजार और हाईवे के किनारे बेचने की योजना बना रहे हैं।

नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

झाबुआ जिले की यह पहल न केवल कृषि नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम भी है। यह झाबुआ जिले के जनजातीय किसानों ने साबित किया है कि सही मार्गदर्शन, तकनीक और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं।

बीज कानून पाठशाला अंक- बीज निरीक्षक का प्रोसेसिंग प्लांट से सैम्पल लेना गैर कानूनी

हलधर किसान इंदौर।बीज कानून पाठशाला में आज प्रोसेसिंग प्लांट से लिए जाने वाले सेंपल कारवाई को लेकर बीज कानून रत्न आरबी सिंह साहब ने महती जानकारी साझा की है।आइए जानते है क्या है नियम.

भारतीय अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है और खेती की धुरी बीज पर। बीज गुणवान होगा तो उत्पादन श्रेष्ठ होगा। बीज की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भारत सरकार ने बीज अधिनियम 1966, बीज नियम.1968, बीज (नियन्त्रण) आदेश.1983 तथा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक.1971, 1988 तथा 2013 बनाए। यद्यपि ये बीज कानून भारत सरकार द्वारा रचे गये परन्तु इनकी पालना राज्य सरकारों के अधिकारी करते हैं और इनकी पालना में अपने अनुसार व्याख्या करते हैं जिससे बीज उद्यमियों से आये दिन विवाद पनपते रहते हैं। इस क्रम में राज्य सरकार के बीज निरीक्षक बीज प्रोसेसिंग प्लान्ट से सैम्पल लेने दौड़ते हैं जो अनुचित है-.

.बीज बिक्री पर रोक लगाना- बीज निरीक्षक को बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनेक शक्तियाँ प्राप्त है, उनमें से एक सैम्पल लेना है। बीज निरीक्षक बीज विक्रेताओं से सैम्पल ले सकता है परन्तु बीज प्रोसेसिंग प्लान्ट से नहीं। हालाकि उसे बीज अधिनियम की धारा.14(1)(सी) के अनुसार शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे विश्वास हो जाए कि किसी परिसर (प्रोसेसिंग प्लान्ट, गोदाम, दुकान) में अधिनियम की पालना नहीं हो रही है तो वह उस परिसर में रखे बीज की बिक्री पर रोक लगा सकता है, जो अधिकतम 30 दिन तक होगी।

सर्च एवं सीजर- बीज अधिनियम.1966 की धारा 14(1)(डी) के अनुसार बीज निरीक्षक को शक्ति प्राप्त है कि यदि बीज निरीक्षक को यह पुष्ठ समाचार हो कि किसी परिसर में अपराध घटित हो रहा है तो वह उस परिसर में आवश्यक पुलिस सहायता लेकर घुस सकता है और बीज या अन्य वस्तु को अपने कब्जे में ले सकता है जिससे वह उस बीज या पदार्थ को मुकदमा करने पर साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सके। ध्यान रहे कि जब्त किए गये बीज या सामग्री की जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देकर अनुमति ले लें। साथ ही बीज निरीक्षक तभी बीज विधायन केन्द्र में घुस सकता है जब मालिक परिसर में हो परन्तु उसकी गैर हाजरी में वह नहीं घुस सकता है।

.बीज विधायन केन्द्र से सैम्पल

बीज अधिनियम की उपरोक्त दोनों धाराओं 14(1)(सी) तथा 14(1)(डी) यद्यपि बीज बिक्री रोक या बीज और सामग्री जब्त करने का प्रावधान है परन्तु सैम्पल लेने का प्रावधान नहीं है।

. बीज निरीक्षक की सीज एवं सर्च करने की शक्ति स्वच्छन्द नही

बीज निरीक्षक की बीज अधिनियम की धारा 14(1)(सी) तथा 14(1)(डी) के अनुसार बीज प्लान्ट में प्रवेश करने की शक्ति स्वच्छन्द नहीं बल्कि प्रमाग पत्र धारक (यानि प्रोसेसिंग प्लान्ट नालिक) बीज निरीक्षक को तभी प्रवेश करने की अनुमति दे जब उसके पास राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की लिखित अनुमति हो। बीज नियम.1968 के नियन.17 ;अपपद्ध 17 तथा 23 के अनुसार बीज निरीक्षक ने किसी प्लान्ट प्रीमिसिस में प्रवेश करने की पूर्व अनुनति ली हो तभी प्रवेश सम्भव है।

बीज निरीक्षक प्रमाणीकरण के अधीन नहीं – बीज निरीक्षक के ध्यान में जब यह लाया गया कि उसे बीज प्लान्ट परिसर में घुसने के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण की अनुमति लेनी चाहिए,तब उनकी प्रतिक्रिया थी कि कृषि विभाग राज्य बीज प्रमाणीकरण के अधीन नहीं हैए इसलिए अनुमति नहीं लेंगे। उनकी यह बात सत्य है कि बीज निरीक्षक या कृषि विभाग राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधीन नहीं है और ये दोनों स्वतन्त्र हैं परन्तु दोनों बीज नियम.1968 के अधीन हैं। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को यदि अनुमति देनी भी पड़े तो वह स्थिति का भली विधि अध्ययन करके दे। ऐसा न हो कि गलत परिस्थिति में अनुमति देने से राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की ही स्थिति हास्यास्पद हो जाए।

. उपरोक्त नियम टीएल सीड पर भी लागू – राज्य सरकार के कृषि अधिकारियों ने पुनः प्रतिक्रिया दी कि ये कानून प्रमाणीत पर ही लागू होंगे, टीएल पर नहीं, तब उन्हें बताया कि भारत सरकार कृषि विभाग ने अधिसूचना दिनाक 26/07/2006 से अधिसूचित और गैर अधिसूचित (बीज उत्पादकों की अपनी विकसित किस्में जो अधिसूचित नहीं कराई जाती) किस्मों के खेत तथा बीज मानक समान कर दिए गये हैं। अतः टीएल बीज उत्पादन की प्रक्रिया भी प्रमाणित बीज के समान है, केवल राज्य बीज प्रमाणीकरण सस्था का दखल नहीं है।

कृषि विभाग आन्ध्र प्रदेश के आदेश

कृषि विभाग आन्ध्र प्रदेश ने सभी कृषि अधिकारियों/बीज निरीक्षकों को आज से 25 साल पहले 1997 में आदेश पारित कर रखे हैं कि साधारणतया वे बीज प्रोसेसिंग प्लान्ट का दौरा न करें। कोई आवश्यकता हो तो उच्च अधिकारी जाये।

. न्यायालय का फैसला-. हिसार न्यायालय के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने सरकार बनाम सुपर सीड्स प्रा. लि0 हिसार के वाद में दिनांक 24/09/2015 को निर्णय देते हुए बताया कि बीज निरीक्षक के पास प्रोसेसिंग प्लान्ट में प्रवेश लेने की हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से लिखित अनुमति नहीं थी। वाद रिजेक्ट कर मै0 सुपर सीड्स प्रा.लि0, हिसार के हक में फैसला दिया।

चीनी उत्पादन 16 फीसदी घटा, अक्टूबर- दिसंबर के बीच 10.92 फीसदी कम हुई गन्ने की पेराई

हलधर किसान

नई दिल्ली। देश में चालू चीनी विपणन वर्ष 2024.25 में 31 दिसंबर, 2024 तक 95.40 लाख टन लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले चीनी विपणन वर्ष में इसी अवधि तक 113.01 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस तरह अबतक चीनी के उत्पादन में 16 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि, चीनी उत्पादन के आंकड़ों में चीनी के इथेनॉल निर्माण के लिए उपयोग की मात्रा को शामिल नहीं किया गया है।

चीनी उद्योग के प्रमुख निकाय भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने जारी एक बयान में बताया कि गन्ने की फसल पर रोग और मौसम की मार के चलते चालू पेराई सत्र 2024.25 में 31 दिसंबर तक देश का चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में करीब 16 फीसदी घटा गया है। इस गिरावट का प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने की कमजोर फसल और कम चीनी मिलों का संचालन है।

अक्टूबर, 2024 में शुरू हुए चालू विपणन वर्ष 2024.25 की पहली तिमाही में 31 दिसंबर, 2024 तक चीनी का उत्पादन 16 फीसदी घटकर 95.40 लाख टन रहा है। जिसकी मुख्य वजह महाराष्ट्र के उत्पादन में गिरावट आना है। इस्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी पेराई दर पिछले साल से बेहतर है। हालांकि, बारिश के कारण गन्ने की आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान के कारण दिसंबर, 2024 के अंतिम हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश में पेराई की दर प्रभावित हुई।

इस्मा के मुताबिक देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष 2024.25 (अक्टूबर.सितंबर) की पहली तिमाही के दौरान घटकर 32.80 लाख टन रह गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 34.35 लाख टन था। वहीं, देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन पिछले साल के 38.20 लाख टन से घटकर 30 लाख टन रह गया है, जबकि कर्नाटक में चीनी उत्पादन 24.91 लाख टन से घटकर 20.40 लाख टन रह गया है।

उद्योग निकाय इस्मा ने कहा कि वह जनवरी के अंत तक चीनी के उत्पादन का अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी करेगा। हालांकि, उद्योग निकाय ने बताया कि चालू चीनी विपणन वर्ष 2024.25 में घरेलू चीनी की खपत घटकर 280 लाख टन रहने का अनुमान है। चालू चीनी विपणन वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 493 चीनी मिलें चालू थीं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 512 रही थी।

नए साल में किसानों को सौगातः केंद्र सरकार ने दी फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने की मंजूरी

हलधर किसान. नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2021.22 से लेकर 2025.26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025.26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय से 2025.26 तक देश भर के किसानों को नहीं रोके जा सकने योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, इस योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के समावेश, जिससे बेहतर पारदर्शिता और दावों की गणना एवं निपटारे में आसानी सुनिश्चित होती है, हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की निधि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी (एफआईएटी) के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

इस फंड का उपयोग इस योजना के तहत यस.टेक, विंड्स आदि जैसे तकनीकी पहलों के साथ.साथ अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली उपज अनुमान प्रणाली प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत की भारिता के साथ उपज के अनुमान हेतु रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। वर्तमान में नौ प्रमुख राज्य यानी आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटकइसे लागू कर रहे हैं। अन्य राज्यों को भी इस प्रक्रिया में तेजी से शामिल किया जा रहा है। यस.टेक के व्यापक कार्यान्वयन के साथ, फसल काटने से जुड़े प्रयोग और संबंधित मुद्दे धीरे.धीरे समाप्त हो जाएंगे। यस.टेक के तहत 2023.24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है। मध्य प्रदेश ने शत.प्रतिशत प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान की प्रक्रिया को अपनाया है।

मौसम संबंधी सूचना और नेटवर्क डेटा प्रणाली प्रखंड स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा मापक स्थापित करने की परिकल्पना करती है। विंड्स के तहत, हाइपर लोकल मौसम डेटा विकसित करने हेतु वर्तमान नेटवर्क घनत्व में पांच गुना वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस पहल के तहतए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा केवल डेटा किराये की लागत का भुगतान किया जाता है। नौ प्रमुख राज्य विंड्स को लागू करने की प्रक्रिया में है । यानी केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान में इस संबंध में कार्य प्रगति पर है, जबकि अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा व्यक्त की है।

निविदा से पहले आवश्यक विभिन्न पृष्ठभूमि संबंधी तैयारियों और योजना संबंधी कार्यों के कारण 2023.24 ईएफसी के अनुसार प्रथम वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा विंड्स को लागू नहीं किया जा सका। तदनुसार, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 90रू10 अनुपात में उच्च केन्द्रीय निधि हिस्सेदारी के साथ राज्य सरकारों को लाभ देने के उद्देश्य से 2023.24 की तुलना में विंड्स के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के रूप में 2024.25 को मंजूरी दी है।

पूर्वोत्तर राज्यों के सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्ट करने के सभी प्रयास किए गए हैं और किए जाते रहेंगे। इस संदर्भ में, केन्द्र प्रीमियम सब्सिडी का 90 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साझा करता है। हालांकि, इस योजना के स्वैच्छिक होने और पूर्वोत्तर राज्यों में कम सकल फसल क्षेत्र होने के कारणए धन को लौटाए जाने से बचने और धन की आवश्यकता वाले अन्य विकास परियोजनाओं एवं योजनाओं में इसके पुनः आवंटन हेतु लचीला रूख रखा गया है।

कृषि क्षेत्र में विकास की उम्मीद, 2025 में खाद्यान्न उत्पादन होगा नया रिकॉर्ड

हलधर किसान. नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र में 2025 में देश के खाद्यान्न उत्पादन नए शिखर पर पहुंचने की संभावना है। अच्छी मानसूनी बारिश के कारण, खरीफ फसलों का उत्पादन इस साल रिकॉर्ड 16.47 करोड़ टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, सर्दी की फसलें भी अच्छी रही हैं और गेहूं की बुवाई 2.93 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी है।

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि सामान्य बारिश के कारण खरीफकी फसलें अच्छी हुई हैं। सर्दियों की फसल की संभावना भी सकारात्मक दिख रही है, हालांकि फरवरी.मार्च में संभावित गर्मी की लहर से गेहूं की फसल पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर, कृषि क्षेत्र में 3.5.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

महासूखे और बाढ़ के बावजूद सुधार

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद कृषि क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्याज और टमाटर की पैदावार प्रभावित हुई, लेकिन ग्रामीण मांग और अच्छे मानसून के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की समस्या अभी भी बनी हुई हैण् इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2025 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन/ तिलहन (एनएमईओ.तिलहन) की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 10,103 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, ताकि आयात निर्भरता कम की जा सके।

बागवानी क्षेत्र में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। फलों और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और यह सफलता बेहतर कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता का परिणाम है। ड्रोन और कृत्रिम मेधा उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो उत्पादकता में सुधार ला रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने सितंबर 2024 में सात नई कृषि योजनाओं की घोषणा की है, जिनका कुल बजट 13,966 करोड़ रुपये है। इनमें डिजिटल परिवर्तन, फसल विज्ञान और पशुधन स्वास्थ्य जैसी योजनाएं शामिल हैं।

टमाटर की खेती से हो रही लाखों की आमदनी

अदलपुरा के प्रगतिशील किसान जीतू पटेल रसायनिक के साथ जैविक तरीके से करते है खेत का रखरखाव

खरगोन। किसान अब पारंपरिक खेती के साथ.साथ सब्जियों की खेती करने लगे हैं. सब्जियों की खेती काफी फायदेमंद साबित हो रही है। खासकर जिले के किसान टमाटर की खेती में कम लागत में बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा रहे है।

जिले प्रगतिशील किसान जीतू पटेल ने टमाटर की खेती कर लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफा ले रहे है। वो पिछले 10 सालों से टमाटर की खेती करके लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे है। पटेल बताते है कि उन्होंने जिला मुख्यालय से करीब 18 किमी दूर स्थित गोगावां जनपद के ग्राम अदलपुरा स्थित 6 एकड़ रकबे में टमाटर की खेती की शुरुआत की। जिसमें हाइब्रिड टमाटर की खेती कर रहे हैं। इस खेती में पहले कपास, गेहूं की पारंपरिक खेती की जाती रही लेकिन जब उन्होंने खेती का कामकाज संभाला तो सब्जी उत्पादन में रुचि ली और यह निर्णय सही साबित हुआ।

7 माह तक होता है उत्पादन

प्रगतिशील किसान पटेल ने किसान प्लस टीवी संवाददाता से बातचीत में बताया टमाटर की मांग पूरे साल रहती है, जिसके कारण यह काफी महंगा भी बिकता है। समय के साथ दाम में उतार- चढाव जरुर रहता है, लेकिन कभी घाटा नहीं होता। उनके खेत में फिलहाल प्रति एकड़ 1200 कैरेट टमाटर निकलता है, जिसे वे इंदौर मंडी में बेचते है। साल की आमदनी पर नजर डाले तो 4 से 6 लाख रुपए की आय हो रही है। उनके यहां योगी वैरायटी का हायब्रिड टमाटर लगाया है, इसकी खासियत है कि यह टमाटर कड़क होता है, जिससे जल्दी खराब नही होता।

तार- बांस के सहारे लहलहाती फसल दिखाते किसान पटेल एवं इनसेट में सूर्ख लाल रंग के टमाटरो को छांटकर कैरेट में रखते मजदूर।

बांस- तार के सहारे पनप रहे पौधे

खेत में लता वाले टमाटर की लगाए है, जो बांस.तार के सहारे यह 4 फुट ऊंचाई तक फैलकर फल दे रहे है। यह पौधे अक्टूबर माह में लगाए थे, जिससे अब फल निकलना शुरु हो गए है जो जून तक निकलेगा। टमाटर की खेती तार.बांस के सहारे करने पर अच्छी फसल मिलती है।

जैविक और रसायनिक तरीके से करते है रखरखाव

श्री पटेल बताते है कि रसायनिक दवाईयों के उपयोग से खेती की उर्वरा शक्ति खत्म होने और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता देख, धीरे- धीरे वे जैविक खेती की ओर लौट रहे है। हालांकि एक ही बार में यह बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए फिलहाल वह 50 प्रतिशत जैविक और 50 प्रतिशत रसायनिक तरीके से फसल का रखरखाव करते है। फसल कटाई के बाद गोबार खाद, गौमूत्र आदि का छिडकाव कर खेत तैयार किया जाता है, वही फसल लगाने पर समय अनुसार यूरिया का छिडकाव भी होता है।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।